

पत्र संख्या- 6 विविध (गोशाला) 58/2016 प०पा०/252/

झारखण्ड सरकार,  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

रवि शंकर वर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,  
झारखण्ड गो सेवा आयोग,  
राँची।

विषय:-

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न गोशालाओं को झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा दिए जाने वाला अनुदान राशि के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य अंतर्गत पशु तस्करी के दौरान प्राधिकृत स्तर से जब्त कर राज्य के विभिन्न गोशालाओं में रखे गए गोवंशीय पशुओं के भोजनादि हेतु 'झारखण्ड गो सेवा आयोग' द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि को विमुक्त करने की प्रक्रिया में निम्न निर्देशों का अनुपालन सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। :-

1. गोशालाओं में गो सेवा हेतु कार्यरत मजदूरों के भुगतान करने हेतु विधिवत् उनका Muster Roll का संधारण प्रत्येक गोशाला द्वारा किया जाना। सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग स्वयं अथवा स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरों को भी भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे राशि ट्रॉसफर कर किया जाये।
2. सचिव, झारखण्ड गो सेवा आयोग यह सुनिश्चित कराएँगे कि सभी जिलों में सिर्फ GST निबंधित दाना/चारा/चोकर सामग्री आदि के आपूर्तिकर्ता से ही इन सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त (क्रय) की जाएगी एवं तदनुसार उन्हें उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
3. GST निबंधित आपूर्तिकर्ता से पशुचारा/खाद्य सामग्री के विरुद्ध प्रस्तुत विपत्र सिर्फ Printed हो एवं उस पर उनका निबंधन संख्या अंकित हो, वह हस्तलिखित न हो।
4. गो सेवा आयोग द्वारा संबंधित गोशाला/गोशालाओं को विमुक्त की जानेवाली राशि के सदुपयोग के संबंध में पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात ही इस प्रकार के अग्रतर प्रस्ताव उपस्थापित किए जाएँगे।
5. गो सेवा आयोग द्वारा संबंधित गोशालाओं का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण (जब्त गायों की संख्या/उसमें स्वास्थ्य आदि के साथ-साथ उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि के सदुपयोग के सत्यापन के उद्देश्य से) सुनिश्चित किया जाएगा।
6. सभी गोशालाओं में मस्टर रोल तथा अभिश्रवों के संबंध में पंजियों का संधारण सुनिश्चित कराया जाय।

उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव

(७)

ला

क्ष